संख्या-86/2016/1031/22-2-2015-17(201)/2015

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 11 जुलाई, 2016

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ में निरूद्ध बन्दी शोभाराम पुत्र श्रीराम निवासी जनपद-मैनपुरी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-46822/पर-3(एम-28-10-2015) दिनांक-09-11-2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी शोभाराम पुत्र श्रीराम, निवासी ग्राम बिरथुआ, थाना-बरनाहल, जनपद-मैनपुरी का निवासी है। बन्दी सनकी किस्म का था। इसी कारण बन्दी ने दिनांक 24/25-03-1998 को रात्रि लगभग 03-00 बजे अपने 08 वर्षीय पुत्र को जंगल में ले जाकर बली चढाने के लिए गला दबाकर उसकी हत्या कर दी एवं शव को जला दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-448/1998 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302, 201 के अन्तर्गत मा0 प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, मैनपुरी द्वारा दिनांक 09-04-2001 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 01.10.2015 तक 17 वर्ष 06 माह 05 दिन की अपरिहार तथा 22 वर्ष 03 माह 22 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण संतोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, मैनपुरी ने अपनी आख्या में अंकित किया है कि बन्दी द्वारा किया गया अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में पुन- अपराध करने आदि के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट, मैनपुरी ने जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक की आख्या के दृष्टिगत एवं बन्दी के अभिभावक को उपयुक्त बताते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने अंकित किया है कि बन्दी सनकी किस्म का था। इसी कारण बन्दी ने दिनांक 24/25-03-1998 को रात्रि लगभग 03-00 बजे अपने 08 वर्षीय पुत्र को जंगल में ले जाकर बली चढाने के लिए गला दबाकर उसकी हत्या कर दी एवं शव को जला दिया। बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मैनपुरी द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्वदोष बन्दी शोभाराम पुत्र श्रीराम, निवासी जनपद-मैनपुरी को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उपरोक्त् वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी शोभाराम (बन्दी संख्या-13036) पुत्र श्रीराम निवासी जनपद-मैनपुरी के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-86/2016/1031(1)/22-2-2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मैनपुरी ।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ।

3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-86/2016/1031@22-2-2016-17(201)/2015
दिनांक 11 जुलाई, 2016 का संलग्नक
<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ में निरूद्ध बन्दी शोभाराम (बन्दी संख्या-13036) पुत्र श्रीराम निवासी ग्राम बिरथुआ थाना-बरनाहल, जनपद-मैनपुरी का निवासी है। बन्दी सनकी किस्म का था। इसी कारण बन्दी ने दिनांक 24/25-03-1998 को रात्रि लगभग 03-00 बजे अपने 08 वर्षीय पुत्र को जंगल में ले जाकर बली चढाने के लिए गला दबाकर उसकी हत्या कर दी एवं शव को जला दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-448/1998 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302, 201 के अन्तर्गत मा0 प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, मैनपुरी द्वारा दिनांक 09-04-2001 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 01.10.2015 तक 17 वर्ष 06 माह 05 दिन की अपरिहार तथा 22 वर्ष 03 माह 22 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण संतोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, मैनपुरी ने अपनी आख्या में अंकित किया है कि बन्दी द्वारा किया गया अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में पुनः अपराध करने आदि के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट, मैनपुरी ने जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक की आख्या के दृष्टिगत एवं बन्दी के अभिभावक को उपयुक्त बताते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने अंकित किया है कि बन्दी सनकी किस्म का था। इसी कारण बन्दी ने दिनांक 24/25-03-1998 को रात्रि लगभग 03-00 बजे अपने 08 वर्षीय पुत्र को जंगल में ले जाकर बली चढाने के लिए गला दबाकर उसकी हत्या कर दी एवं शव को जला दिया। बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मैनपुरी द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी शोभाराम पुत्र श्रीराम, निवासी जनपद-मैनपुरी को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in